20.05.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित।

वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन करते एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी/प्रतिवादी का प्र० पत्र O-7 R-11 CPC स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर वादिया का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 20.05.25

(किरण पाल)

RAS.